पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या–इज्जतनगर/63 **इज्जतनगर मण्डल**

रामनगर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन – टर्मिनल)

जारी करने की तिथि–22.7.2014
लागू करने की तिथि–30.7.2014
पुनरीक्षण तिथि–जुलाई–2019

"बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक–I
(दो संकेती लोअर क्वाड्रेण्ट सेमाफोर सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8-01(1) ;क) (ग), (2) ;क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (i) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/63 दिनॉक 20.5.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नही करते ।

1. **स्टेशन संचालन नियम आरेख (रुल डायग्राम) :**

सी0एस0टी0ई0/कान/गोरखपुर के सिगनैलिंग प्लान संख्या CSTE/CON/87/(YD)-15 Alt "J' पर आधारित इस स्टेशन का नियमारेख सं0 1 दिनॉक 6.9.2006 आल्टरेशन 'बी' दिनॉक 6.4.2010 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. **स्टेशन का विवरण** :

2.1. **सामान्य (स्थिति) :**

रामनगर स्टेशन मुरादाबाद जं0 – रामनगर मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का **टर्मिनल** स्टेशन है। यह स्टेशन मुरादाबाद जं0 से 77.67 किमी0 की दूरी पर स्थित है ।

2.2. **दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :**

(पूर्व दिशा में) : टर्मिनल
काशीपुर जं0 (पश्चिम दिशा में) : 27.36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 की स्थिति :–
इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिग :– कोई नहीं।

हाल्ट स्टेशन : गौशाला हाल्ट इस स्टेशन से 15.29 किमी0 की दूरी पर रामनगर – काशीपुर ब्लाक खण्ड में स्थित है।

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
रामनगर– काशीपुर	अप होम सिगनल (रामनगर)	अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल (काशीपुर)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :

1. चैनेज सं0 432 से काशीपुर स्टेशन की ओर 125 में 1 का अधोगामी ढलान है।
2. टिम्बर बैलास्ट साइडिंग टर्मिनल छोर की ओर 120 में 1 का अधोगामी ढ़लान है।

2.5 अभिन्यास (ले–आउट) :

अभिन्यास केवल 15 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 परिचालित लाइने है तथा लाइन संख्या 4 से 15 अपरिचालित लाइने है।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी0एस0आर0) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सीएसआर)	टिप्पणी
लाइन संख्या–1	588.00 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या–2	575.00 मीटर	रेल लेवल प्लेटफार्म वाली मेन लाइन
लाइन संख्या–3	490.00 मीटर	रेल लेवल प्लेटफार्म वाली लूप लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या– 2, सीधी लाइन है तथा ट्रैक सर्किटेड है।

(ग) अप गाड़ियॉ किसी भी परिचालित लाइन पर ली जा सकती हैं तथा डाउन गाड़ियॉ किसी भी परिचालित लाइन से चलाई जा सकती है ।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

2.5.2 अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी0एस0आर0) :

लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सीएसआर)	टिप्पणी
4	स्टेबलिंग लाइन	400	वाहन खड़े करने वाली साइडिंग
5	ठोकरयुक्त स्लिप साइडिंग	85	वाहन खड़े करने की मनाही है।
6	ठोकर युक्त साइडिंग	400	लाँग शन्टिंग नेक
7	सवारी डिब्बा सफाई पिट लाइन	460	18 कोचो के लिये।
8	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	225	डिब्बा मरम्मत लाइन
9	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	180	सिक लाइन
10	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	50	पहिया लाइन
11	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	25	इंजन पर (अग्रिम) लाइन
12	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	260	टिम्बर मिट्टी (बैलास्ट)साइडिंग
13	दोहरी ठोकर युक्त साइडिंग	110	मालगोदाम प्लेटफार्म लाइन
14	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	135	टूरिस्ट साइडिंग
15	इकहरी ठोकर युक्त साइडिंग	120	टिम्बर एवं बैलास्ट साइडिंग

2.5.3 **अभिन्यास(ले–आउट) में मुख्य विशेषताएं:** यार्ड के काशीपुर छोर पर एक स्लिप साइडिंग है।

2.6. समपार फाटक :

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक सं0 एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नही	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
52–सी	अप आउटर तथा अप होम सिगनल के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
46. बी	रामनगर – काशीपुर के मध्य किमी0 68/6–7 पर	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन	नहीं
49. सी	रामनगर – काशीपुर के मध्य किमी0 71/12–13 पर	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ मैगनेटो टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के विस्तृत अनुदेश के लिये परिशिष्ट 'क' से 'क–II' देखें।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक /सा0/इज्जतनगर

3 **<u>संचालन की पद्धति एवं साधन</u> :**

बगल के ब्लाक स्टेशन काशीपुर से इकहरी लाइन पर ''पूर्ण ब्लाक पद्धति'' कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकन यन्त्र काशीपुर स्टेशन से सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

<u>टिप्पणी</u> :1.कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नही अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है । ब्लाक यन्त्रों की चाबियाँ उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होनी चाहिए।

(सहायक नियम 14.02 (v) एवं सा0 तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

2. चाबी ''जेड'' काशीपुर की ओर सम्बद्ध ब्लाक यन्त्र में टीजीटी या टीसीएफ स्थिति में पाशित रहती है। चाबी ''जेड'' स्लिप साइडिंग काँटा संख्या–1 की नियन्त्रण चाबी है।

3. स्टेशन मास्टर कार्यालय में सीलबन्द शीशे के केस में एक आपातकालीन चाबी 'जेड' भी रखी है जो कि ब्लाक टोकन यन्त्र की किसी भी स्थिति में विफलता के समय प्रयोग की जाती है। प्रत्येक बार सील तोड़कर चाबी 'जेड' प्रयोग करने की प्रविष्टि गाड़ी सिगनल रजिस्टर में की जानी चाहिये।

4. **<u>संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling and Interlocking) की पद्धति</u> :**

यह स्टेशन मानक–I अन्तर्पाशित, लोअर क्वाड्रेण्ट सेमाफोर सिगनलों वाला स्टेशन है। सिगनलों का प्रचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय के निकट प्लेटफार्म पर स्थित ग्राउन्ड लीवर फ्रेम द्वारा होता है। कार्यरत स्टेशन मास्टर 14 लीवर वाले नियन्त्रण फ्रेम के माध्यम से आगमन सिगनलों एवं एडवॉस स्थिति में प्रदत्त प्रस्थान सिगनल पर नियन्त्रण रखता है। इस लीवर फ्रेम पर 8 लीवर स्पेयर है।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

4.1. **प्रदत्त सिगनल** :–

(क) **आगमन सिगनल** :

काशीपुर स्टेशन से आने वाली गाड़ियों के लिये अप आगमन सिगनल :

अप वार्नर सिगनल :

अप आउटर सिगनल संख्या–2 के नीचे लगा है और "आन" स्थिति में स्थिर है।

अप आउटर सिगनल **(मोटर आपरेटेड)** संख्या–2 – होम सिगनल 3/4/5 के संकेत पर निर्भर है।

अप होम सिगनल **(मोटर आपरेटेड)** के संकेत निम्न प्रकार से है :–

होम सिगनल संख्या –4 लाइन संख्या–1 के लिये

होम सिगनल संख्या –3 लाइन संख्या–2 के लिये ।

होम सिगनल संख्या –5 लाइन संख्या–3 के लिये

(ख) **प्रस्थान सिगनल** :

काशीपुर स्टेशन को जाने वाली गाड़ियों के लिये डाउन प्रस्थान सिगनल (मोटर आपरेटेड)

एडवॉस पोजीशन में कामन डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 6 सभी लाइनों के लिये प्रस्थान सिगनल के रूप से दिया गया है।

काँटा इंडिकेटर :– काँटा संख्या 1, 3, 4, 7A, 9, 10 पर कॉटा इंडिकेटर लगे है।

ट्रैप इंडिकेटर :– कॉटा संख्या 8X, 5X पर ट्रैप इंडिकेटर लगे है।

रिपीटर :–स्टेशन मास्टर कार्यालय में अप आउटर, अप वार्नर, अप होम सिगनल (तीनों लाइनों के लिये कामन) के **आर्म एवं लाइट रिपीटर** तथा डाउन स्टार्टर सिगनल के लिये मिनियेचर लाइट 'आन' 'आफ' इंडिकेशन स्टेशन डायग्राम पर प्रदत्त है।

स्टार्टर इंडिकेटर :– एडवॉस पोजीशन में प्रदत्त डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 6 कर्व में स्थित होने के कारण गार्ड को दिखायी नहीं देता है। अतः इसके आस्पैक्ट को दोहराने तथा गार्ड को गाड़ी चलाने का संकेत देने के की सुविधा के लिये प्लेटफार्म पर **स्टार्टर इंडिकेटर** प्रदान किया गया है।

4.1.1.(क)एच0पी0के0लाक काँटों की संचालन कार्य विधि स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

(ख) परिचालित लाइनों पर काँटें स्थानीय प्रचालन द्वारा उनके निकट प्रदत्त लीवरों से चलाये जाते हैं। परिचालित लाइनों पर प्रदत्त ताले ट्रिपिल एच0पी0के0लाक है।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

(ग) काशीपुर छोर पर कॉंटा संख्या–1 स्लिप साइडिंग कॉंटा है तथा इस पर डबल एच0पी0के0लाक लगा है। सामान्यतः कॉंटा स्लिप साइडिंग लाइन संख्या–5 के लिये सेट रहेगा। गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के समय, कार्यरत स्टेशन मास्टर ''जेड'' चाबी कार्यरत कॉंटावाला को अप होम लोकेशन बाक्स में प्रदत्त एच0के0टी0 के माध्यम से ट्रॉसमिट कर देगा । कॉटावाला कॉंटें को रिवर्स स्थिति में सेट करने के बाद ''पी'' चाबी को डबल एच0पी0के0लाक से निकालकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को एच0के0टी0 के माध्यम से ट्रॉसमिट कर देगा। चाबी पाशन की विफलता की दशा में कॉंटें को कार्यरत स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में क्लैम्प से कसकर ताला बन्द कर दिया जायेगा और चाबी उसकी अभिरक्षा में रखी जायेगी।

(घ) कॉंटा संख्या–3 तथा 4 पर नियन्त्रण रखने के लिये स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी ''ए' तथा साइडिंग नियन्त्रण चाबी ''एफ'' कार्यरत स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रहेगी।

(ड) साइडिंग कॉंटों के नियन्त्रण हेतु स्टेशन मास्टर कार्यालय में एफ, टी, एम, एन तथा एल चाबियों से युक्त एक पॉच मार्गी लाक अप बाक्स प्रदत्त है।

(च) **<u>दिशा एवं लाइन नियन्त्रण चाबी बाक्स</u> :**

स्टेशन मास्टर कार्यालय में 8–मार्गी लाक अप बाक्स प्रदत्त है जिसमें अप दिशा चाबी, चाबी 'वाई' तथा लाइन नियन्त्रण चाबियॉं एल–1, एल–2 एवं एल–3 रहती है। दिशा एवं लाइन नियन्त्रण चाबियों का उद्देश्य एक समय में क्रमशः केवल उस दिशा से एवं लाइन के लिये सिगनल आफ किये जाने की अनुमति प्रदान करना है जिस लाइन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी लेना चाहता है। ''एफ'' एवं ''पी'' चाबियॉं, लाइन चाबियॉं एल–1, एल–2, एल–3, ''वाई'' तथा अप दिशा चाबी को मुक्त करती है। अप दिशा चाबी ''वाई'' चाबी को पाशित करती है तथा जब कोई भी लाइन चाबी लाक अप बाक्स से निकाली जाती है तो यह अन्य लाइन चाबियों को पाशित कर देती है।

4. <u>स्थाई रुप से ताला बन्द कॉटें/ पृथक्करण (आइसोलेशन)</u> :

कॉंटा संख्या	विवरण	कॉंटा संकेतक लगे है या नही	सेटिंग की सामान्य स्थिति	चाबी जिसके द्वारा नियन्त्रित	मोटर चालित / हस्त चालित	टिप्पणी
2	सिंगिल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नहीं	मुख्य लाइन के लिये तथा लाइन सं0–6 के विरुद्ध सेट एवं पाशित।	एस	यन्त्र चालित	चाबी "एस" कॉंटा संख्या 2A पर डबल ए0एच0पी0के0 लाक मे लाक्ड रहती है।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

2A	डबल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नही	लाइन संख्या –6 के लिये तथा मुख्य लाइन के विरुद्ध सेट तथा पाशित।	एम	यन्त्र चालित	चाबी ''एम''स्टेशन मास्टर के 5–मार्गी लाक अप बाक्स में पाशित रहती है।
6	सिंगिल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नही	लाइन संख्या –3 के लिये तथा लाइन संख्या–4 के विपरीत सेट तथा पाशित।	एस–2	यन्त्र चालित	चाबी एस–2 कॉंटा संख्या–6ए पर डबल ए0एच0पी0के0 लाक मे लाक्ड रहती है।
6A	डबल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नही	लाइन संख्या –4 के लिये तथा लाइन संख्या–3 के विपरीत सेट तथा पाशित।	टी	यन्त्र चालित	चाबी ''टी'' स्टेमा कार्यालय में पंचमार्गी पाश पेटिका में पाशित रहती है।
5	सिंगिल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नहीं	लाइन संख्या–1 के लिये तथा लाइन सं0 –14 के विपरीत सेट तथा पाशित	एस–1	यन्त्र चालित	चाबी एस–1 कॉंटा संख्या 5 एक्स पर डबल ए0एच0पी0के0 लाक मे लाक्ड रहती है।
5X	डबल एच0पी0के0 लाक ट्रैप कॉटा	है	लाइन संख्या –14 से गिराने के लिये खुला स्थिति में सेट तथा पाशित	एन	यन्त्र चालित	चाबी एन स्टेमा कार्यालय में पंचमार्गी पाश पेटिका में पाशित रहती है।
7	सिंगिल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नहीं	लाइन संख्या –1 के लिये तथा लाइन सं0 13 के विपरीत सेट तथा पाशित	एस–3	यन्त्र चालित	चाबी एस–3 कॉंटा संख्या 7A पर डबल ए0एच0पी0के0 लाक मे लाक्ड रहती है।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

7A	डबल एच0पी0के0 लाक ट्रैप कॉटा	है	लाइन संख्या 13 के लिये तथा लाइन सं0–1 के विपरीत सेट तथा पाशित।	एन	यन्त्र चालित	चाबी एन स्टेमा कार्यालय में 5.मार्गी लाक अप बाक्स में पाशित रहती है।
11	सिंगिल एच0 पी0 के0 लाक कॉटा	नही	लाइन संख्या –2 के लिये तथा लाइन सं0 13 के विपरीत सेट तथा पाशित।	एस–5	यन्त्र चालित	चाबी एस–5 काँटा संख्या–11A पर डबल ए0एच0पी0के0 लाक मे लाक्ड रहती है।
11A	डबल एच0पी0के0 लाक कॉटा	नही	लाइन संख्या 13 के लिये तथा लाइन सं0–2 के विपरीत सेट तथा पाशित।	एल	यन्त्र चालित	चाबी एल स्टेमा कार्यालय में 5.मार्गी लाक अप बाक्स में पाशित रहती है।
8	सिंगिल एच0 पी0 के0 लाक कॉटा	नही	लाइन सं0–3 के लिये तथा लाइन संख्या–4 के विपरीत सेट तथा पाशित।	एस–4	यन्त्र चालित	चाबी एस–4 काँटा संख्या–8एक्स पर डबल ए0एच0पी0के0 लाक मे लाक्ड रहती है।
8X	डबल एच0पी0के0 लाक ट्रैप कॉटा	है	लाइन सं0–4 से गिराने के लिये खुली स्थिति में सेट तथा पाशित	एल	यन्त्र चालित	चाबी एल सटेमा कार्यालय में 5.मार्गी लाक अप बाक्स में पाशित रहती है।

टिप्पणी : अन्तर्पाशन/चाबी पाशन की विफलता की दशा में उपर्युक्त काँटों को गाड़ी के प्रवेश/प्रस्थान के समय सामान्य दशा में क्लैम्प करके अवश्य ही पाशित कर दिया जाना चाहिये और चाबियाँ कार्यरत स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रखी जानी चाहिये। ये काँटें स्थायी रुप से ताला बन्द काँटें श्रेणी 'ए' माने जायेगें।

स्कॉच ब्लाक : – कोई नहीं है।

4.1.3. **<u>विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डिल</u>** :

इस स्टेशन पर कोई मोटर चालित काँटा नहीं है।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

4.2 **रिले कक्ष की चाबियो की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने–देने की कार्य पद्धति** :–

सिगनल लीवर फ्रेम में लगी सी0सी0 के कारण इसमें डबल लाक की व्यवस्था है। जब कभी सिगनल अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा इसको खोला जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर इस सम्बन्ध में अनुरक्षित पंजिका में निर्धारित प्रारूप पर प्रविष्टि करने के बाद ही चाबी सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी को सौंपेगा।

4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)** :– सिगनल उपकरणों को क्रियाशील बनाये रखने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सेकेण्डरी सैल की व्ययस्था है।

5. दूर संचार :–

i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बध्द कन्ट्रोल टेलीफोन

ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी0एस0एन0एल0फोन

iii) काशीपुर स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बध्द साइड टेलीफोन

iv) ट्रैफिक समपार संख्या 52/सी आउटर एवं होम के मध्य स्थित से मैगनेटो टेलीफोन

v) इंजी0 समपार संख्या 46/बी (रामनगर–काशीपुर) के मध्य स्थित से मैगनेटो टेलीफोन

vi) इंजी0 समपार संख्या 49/सी (रामनगर–काशीपुर) के मध्य स्थित से मैगनेटो टेलीफोन

vii) होम सिगनल लोकेशन बाक्स में प्रदत्त टेलीफोन

viii) वी0एच0एफ0 सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :–

(साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(1) (ख), 3.41(2) (ख), 3.43 एवं सहायक नियम 4.35 तथा 3.42 देखें)

(i) गाड़ी के आगमन हेतु कार्य विधि :

कार्यरत स्टेशन मास्टर यार्ड के सम्मुख एवं अनुमुख छोरों पर कार्यरत काँटा वालों को गाड़ी संख्या, विवरण तथा लाइन संख्या जिस पर गाड़ी लेनी है, के सम्बन्ध में स्पष्ट और निश्चित अनुदेश देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार फाटक संख्या 52/C के फाटकवाले को भी समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित करने हेतु गाड़ी के संचलन के विषय में सूचना देगा। कार्यरत फाटकवाला समपार को बन्द एवं पाशित करेगा चाबी "**आर**" निकालकर एच0के0टी0 के माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर को टॉसमिट कर देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर एच0के0टी0 से चाबी आर प्राप्त करेगा और स्टेशन मास्टर के 8–मार्गी लाक अप बाक्स के ताले में लगाकर घुमायेगा जिससे अप दिशा चाबी मुक्त हो जायेगी।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

ii) यार्ड के अनुमुख छोर पर कार्यरत काँटावाला जाते समय स्वतः निरीक्षण करता हुआ आने वाली गाड़ी जिस मार्ग से गुजरेगी, साफ हो, वाह्यतम अनुमुख काँटों तक जायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर के अनुदेशों के अनुसार वह वॉछित मार्ग के सभी काँटों को ठीक से सेट करेगा। तब वह कार्यरत स्टेशन मास्टर से **'सब ठीक है'** संकेत का आदान–प्रदान करेगा।

(iii) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी 'ए' और होम सिगनल लोकेशन बाक्स की चाबी यार्ड के सम्मुख छोर पर कार्यरत काँटावाला को देगा तथा एच0के0टी0 के माध्यम से स्लिप साइडिंग चाबी ''जेड'' को होम लोकेशन बाक्स मे ट्रॉसमिट कर देगा। कार्यरत काँटावाला आने वाली गाड़ी के गुजरने वाले मार्ग के साफ होने का स्वतः निरीक्षण करता हुआ बाह्यतम सम्मुख काँटा संख्या–1 तक जायेगा। तत्पश्चात कार्यरत काँटावाला स्लिप साइडिंग काँटा संख्या 1 के एच0पी0के0 लाक में चाबी 'जेड' लगाकर कॉटे को मेन लाइन के लिये सैट एवं पाशित करेगा और चाबी ''पी'' निकालेगा तथा एच0के0टी0 के माध्यम से इसे कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रॉसमिट कर देगा। तत्पश्चात कार्यरत काटावाला काँटा संख्या 3 पर जाकर, उसके ताले में चाबी 'ए' लगाकर घुमायेगा । यदि गाड़ी मुख्य लाइन संख्या 1 ली जानी है तो चाबी ''सी'' निकाल लेगा, यदि गाड़ी को लाइन संख्या 2 या 3 पर लिया जाना है तो कार्यरत काँटावाला काँटा संख्या–3 के ताले से चाबी ''बी'' निकालकर काँटा संख्या 4 के ताले मे लगाकर वाँछित स्थिति में काँटों को सेट करेगा और जैसा आवश्यक हो चाबी ''डी'' या ''ई'' निकाल लेगा। तत्पश्चात वह अप होम सिगनल लोकेशन के ''ई'' आकार के ताले में चाबी ''सी'' या ''डी'' या ''ई'' जैसी भी स्थिति हो लगाकर घुमायेगा परिणाम स्वरूप स्टेशन डायग्राम पर सम्बन्धित लाइन पर एक सफेद प्रकाश संकेत प्रदर्शित होने लगेगा जो कि चाबी एल–1, एल–2 अथवा एल–3 को रिलीज करेगा।

iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर जिस लाइन पर से गाडी गुजरेगी उसके साफ होने का सुनिश्चय स्वतः करेगा। तत्पश्चात वह एच0के0टी0 के माध्यम से चाबी ''पी'' निकालेगा और 8. मार्गी लाक अप बाक्स के ताले में लगायेगा। तत्पश्चात वह अप दिशा चाबी, वाई चाबी तथा चाबी ''एल''–1 या ''एल''–2 या ''एल''–3, जैसी भी स्थिति हो, निकालेगा। अप दिशा चाबी लीवर संख्या–7 के ताले में लगाकर चाबी ''एल''–1 या ''एल''–2 या '''एल''–3, सुसंगत होम सिगनल लीवर में लगाने के बाद लीवर को रिवर्स करेगा। तब होम सिगनल आफ स्थिति में आ जायेगा। तत्पश्चात लीवर संख्या–2 रिवर्स कर आउटर सिगनल **''आफ''** किया जायेगा।

v) सम्पूर्ण गाड़ी आ जाने के पश्चात सिगनल एवं काँटें सामान्य स्थिति में कर दिये जायेगें। कार्यरत स्टेशन मास्टर चाबी ''आर'' को ट्रांसमिट करके गेटमेन को गेट खोलने की अनुमति देगा तथा एच0के0टी0 के माध्यम से चाबी 'पी' कार्यरत काँटावाला को ट्रॉसमिट कर देगा। कार्यरत काँटावाला एच0के0टी0 से चाबी ''पी'' निकाल लेगा तथा स्लिप साइडिंग को इसकी सामान्य दशा में सेट करके चाबी ''जेड'' निकालकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रॉसमिट कर देगा। परिचालित लाइन के काँटों को सामान्य दशा में सेट करने के पश्चात वह चाबी ''ए'' भी स्टेशन मास्टर को सौंप देगा।

vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने अधिकार में स्लिप साइडिंग नियन्त्रण चाबी ''जेड'' आ जाने के बाद ही ब्लाक यन्त्र को भी सामान्य दशा में करेगा।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

नोट :– स्टेशन मास्टर कार्यालय में दो आडियो इंडिकेशन बज़र एवं घन्टी स्लिप साइडिंग कॉटें को नार्मल करने के लिये तैयार रहने के लिये प्रदत्त हैं। जैसे ही गाड़ी स्लिप साइडिंग कॉटे के ट्रैक सर्किटिंग ए–1टी एवं 1टी को आक्यूपाइड करती है, स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक बज़र बजता है और जब कॉटा संख्या 1 पर संचलन पूरा हो जाता है तो स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक घन्टी लगातार बजती रहती है जब तक कि स्लिप साइडिंग कॉटा संख्या 1 को नार्मल स्थिति में न कर दिया जाय।

6.1. **<u>प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी</u> :**

दिन की पाली –

स्टेशन मास्टर	–	01	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	–	03	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	–	01	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	–	01	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सॉध्य पाली/रात्रि पाली –

स्टेशन मास्टर	–	02	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	–	03	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	–	01	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शंटिंग मास्टर	–	01	– निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.2 **<u>लाइन और क्षेत्र को साफ रखने का उत्तरदायित्व</u> :**

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमनध्प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

(साधारण एवं सहायक नियम 3.38 (ग) एवं 3.40 देखें)

6.2.1 **<u>आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन</u> :–**

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रुप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचलन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारुप पर एक प्रमाण–पत्र आवश्यक रुप से देगें ।

(सहायक नियम 5.01(19) एवं परिचालन नियमावली का पैरा 3003 देखें)

6.2.2. **<u>लाइन क्लीयर देने की शर्तें</u> :**

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि :–

(क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो ।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा आउटर सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(ग) लाइन, होम सिगनल तक साफ न हो।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

(घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इंजी0 गेट संख्या 46/बी एवं 49/सी के तथा ट्रफिक गेट संख्या 52/सी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधारण एवं सहायक नियम 3.40 (1) (ख) (2) (ख) एवं (3) (क), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (i), 3.09, सहायक नियम 8.03 (i) से (iv) देखें)

6.2.1 <u>स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्ते</u> :–

6.2.1.1 <u>ब्लाक लाइन के विरूध्द काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना</u>

जब स्टेशन पर कोई रनिंग लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग के कारण अवरूध्द हो, तो दोनों छोरों के काँटें अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट किये जायें।

(साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2) को देखें)

6.2.1.2 <u>अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन</u>

जब स्टेशन पर किसी अवरूध्द लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 <u>बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन</u> :–

इस स्टेशन पर लाइन संख्या 4 पर सी0एस0आर0 को ध्यान में रखते हुए तथा साधारण एवं सहयक नियम 5.10 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गाड़ी का आगमन किया जा सकता है। नान–इन्टरलाक कॉटो की सही सैटिंग एवं लाकिंग के लिये गाड़ी को पायलट करने वाला कॉटेवाला उत्तरदायी है।

6.2.1.4 <u>बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान</u> :–

इस स्टेशन पर लाइन संख्या 4, 12 एवं 15 से साधारण एवं सहयक नियम 5.11 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गाड़ी का प्रस्थान कराया जा सकता है। नान – इन्टरलाक कॉटो की सही सैटिंग एवं लाकिंग के लिये गाड़ी को पायलट करने वाला कॉटेवाला उत्तरदायी है।

6.2.1.5 <u>कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान</u> :– इस स्टेशन पर कामन स्टार्टर संख्या 6 सभी लाइनों के लिये प्रदत्त है। परिशिष्ट 'ख' के अनुसार वॉछित लाइन सैट एवं लाक करने के पश्चात ही कामन स्टार्टर सिगनल को 'आफ' किया जाना चाहिए। लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के साथ टी/512 पर लिखित अनुमति भी दी जाए ।

6.2.1.6 <u>सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना</u> – कोई नहीं।

((रितेश गुप्ता) (जे0ए0आजमी)

मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

6.3. **आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्ते :**

सिगनलों को तब तक आफ नही किया जायेगा जब तक कि :–

(क) सभी सम्मुख काँटें जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट करके पाशित न कर दिये गये हों।

(ख) सभी अनुमुख काँटें जिन पर से गाड़ी गुजरेगी, सही ढंग से सेट न कर दिये गयेहो।

(ग) जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है वह स्टाप बोर्ड के आगे, लाइन सं0 1 या 2 या 3 पर अप गाड़ियों के प्रवेश के मामले में डेड एण्ड तक साफ तथा बाधा रहित न हो।

(घ) समपार फाटक सख्या 52/सी को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके पाशित न कर दिया गया हो।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :–

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें। किसी आपात स्थिति में होम सिगनल के लीवर को नार्मल करके आगमन सिगनल को पुनः "आन" किया जा सकता है।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :– टर्मिनल स्टेशन होने के कारण लागू नहीं है।

6.5 गाड़ियो का पूर्ण आगमन :–

(क) आने वाली गाड़ी के सम्बन्ध में वह गार्ड से इस उद्देश्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका के निर्धारित प्रपत्र **टी/1410** पर पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस प्राप्त नहीं कर लेता है। (साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :–

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गाड़ी परीक्षक से फिट प्रमाण पत्र (टी–431) प्राप्त करेगा। वह डाउन गाड़ी के लिये काशीपुर स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा। तत्पश्चात वह गाड़ी प्रस्थान वाले छोर पर कार्यरत काँटावाला को गाड़ी की संख्या तथा विवरण एवं लाइन संख्या जिससे गाड़ी जायेगी व्यक्तिगत रूप से बतायेगा। कार्यरत काँटावाला को स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी "ए" सौंप देगा तथा स्लिप साइडिंग चाबी "जेड" एच0के0टी0 द्वारा ट्रॉसमिट कर देगा। वह गाड़ी के प्रस्थान के विषय में कार्यरत फाटकवाला को भी समपार फाटक संख्या 52/C को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित करने हेतु सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचना देगा। कार्यरत फाटकवाला समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित करने के बाद चाबी "आर" को एच0के0टी0 के माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रॉसमिट कर देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर एच0के0टी0 से चाबी "आर" प्राप्त करेगा तथा स्टेशन मास्टर की 8.मार्गी पाश पेटिका में लगे तालें में लगाकर घुमायेगा जिससे चाबी "वाई" मुक्त हो जायेगी। वह फाटक सं0 46/बी एवं 49/सी के फाटकवाला को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करेगा ।

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आजमी)

मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

ii) कार्यरत काँटावाला तब काँटा संख्या 1 पर जायेगा तथा उसके ताले में चाबी ''जेड'' लगाकर घुमायेगा, मेन लाइन के लिये काँटा सेट करेगा और चाबी ''पी'' निकाल लेगा तथा एच0के0टी0 के माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रॉसमिट करेगा। तत्पश्चात काँटावाला काँटा सख्या–3 पर जायेगा तथा उसके ताले में चाबी ''ए'' लगाकर घुमायेगा, काँटें को सेट करेगा और यदि गाड़ी लाइन संख्या 1 से जाने वाली हे तो चाबी ''सी'' निकाल लेगा और यदि गाड़ी लाइन संख्या 2 या 3 से जाने वाली है तो काँटावाला, काँटा संख्या 4 पर लगायेगा और उसके ताले मे लगाकर घुमायेगा तथा काँटों को वाँछित दशा में सेट करेगा तत्पश्चात जैसी भी स्थिति हो वह चाबी ''डी'' या ''ई'' निकालेगा एवं ''सी'' या ''डी'' या ''ई'' चाबी को होम सिगनल लोकेशन के 'ई' प्रकार के ताले में लगाकर घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त स्टेशन डायग्राम पर सम्बन्धित लाइन पर एक मिलियेचर इंडिकेशन प्रदर्शित होने लगेगा और तभी चाबी 'वाई' लाक अप बाक्स से रिलीज होगी।

iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर काँटा संकेत को स्वतः सत्यापन द्वारा तथा अपने कार्यालय में प्रदत्त पथ परिपथ संकेतो द्वारा अवश्य ही सुनिश्चित करे कि मार्ग ठीक से सेट तथा पाशित है एवं सभी बाधाओं से मुक्त है। वह चाबी ''पी'' को हैपर चाबी सम्प्रेषक से निकालेगा तथा अपने कार्यालय से प्रदत्त 8–मार्गी लाक अप बाक्स में लगा देगा। वह चाबी ''एफ'' को भी 8–मार्गी लाक अप बाक्स में लगायेगा। इससे ''वाई'' चाबी निकालेगा, इसे लीवर संख्या 6 के ''ई'' आकार के ताले में लगायेगा तथा अग्रिम स्थिति में प्रस्थान सिगनल संख्या 6 को ''आफ'' करायेगा।

iv) गाड़ी जाने के उपरान्त कार्यरत काँटावाला द्वारा एच0के0टी0 के माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर से चाबी ''पी'' प्राप्त करने के बाद काँटों को सामान्य दशा में सेट कर दिया जाय। काँटों को सामान्य दशा में सेट करने के पश्चात काँटा वाला चाबी 'ए' तथा ''जेड'' कार्यरत स्टेशन मास्टर को वापस कर देगा।

v) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर काँटा संकेतको के संकेतों को देखकर यह सुनिश्चित करके कि मार्ग सही सैट किया गया है; तथा चाबी 'एफ' उसकी अभिरक्षा में है, गाडी के चालक को प्रस्थान प्राधिकार सौंपेगा तथा गाड़ी के गार्ड को डिपार्टिंग बैल बजाकर गाड़ी को चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।

vi). गाड़ी प्रस्थान करने वाले मार्ग के लिये सेट किये गये काँटों को उन पर से सम्पूर्ण गाड़ी निकल जाने के बाद, उनको सामान्य दशा में पुनः सेट कर दिया जायेगा।

6.6.1 **<u>सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :–</u>**

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रुप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनो पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशो के अर्न्तगत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आजमी)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

67 **<u>गाड़ियों का रन–थ्रू (बिना रूके) जाना</u> :–** लागू नहीं है।

6.8 **<u>कॉटों एवं सिगनलों की विफलता के दौरान कार्य पद्धति</u> :–**

कॉटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें ।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूध्द लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा0 एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 **<u>ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/ सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली</u> :–**

(क) मोटर ट्राली को गाड़ियों कें संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा ।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर आ रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति मे कर दिया जायेगा । गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नही है । साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. **<u>लाइन अवरूध्द होना</u> :-**

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नही है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित कॉटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आजमी)

मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/63 रामनगर

7.1 **<u>स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंगः-</u>**

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनों के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है।

वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

(i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहॉ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

<u>टिप्पणी</u> :

1 बी0ओ0एक्स0, बी0औ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 नये रोलर बियरिंग लगे कोचिंग स्टाक जब स्टेशन पर स्टाक स्टेबुल हो तो, निम्नलिखित सावधानियॉ बरती जायें :–

(क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।

(ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

(घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

8. <u>शन्टिग</u> :

शन्टिग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें ।

8.1. **<u>ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग</u> :** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) इस स्टेशन पर मेन लाइन पर काँटा संख्या 2 तक चैनेज 432 के आगे काशीपुर की ओर 125 में 1 का अद्योगामी ढलान है । सभी सिगनलों तथा स्लिप साइडिंग काँटा 1 को सामान्य दशा में रखते हुए शंटिंग नेक में शंटिंग करने की अनुमति है । शंटिंग कार्य इंजन को काशीपुर दिशा में रखकर किया जायेगा ।

(ख) टिम्बर साइड लाइन नं0 12 टर्मिनल छोर पर 120 में 1 का अद्योगामी ढ़लान है अतः शंटिंग में वाहनो को रनिंग में न छोड़ा जाये लोड खड़ा करने पर इसको प्रापर सिक्योर किया जाये।

<u>नोट</u> :– सिगनल संख्या 6 केवल मेन लाइन के लिये है अतः इसे शंटिंग नेक में जाने के लिये आब्ज़र्व नही किया जायेगा ।

(ख) **<u>प्रथम रोक सिगनल (आउटर) के बाहर शन्टिग</u>** :
ढलान के कारण शन्टिग की अनुमति नहीं है ।

8.2. **<u>आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिग</u> :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) सभी सिगनलों तथा स्लिप साइडिंग काँटा 1 को सामान्य दशा में रखते हुए केवल शंटिंग नेक में शंटिंग करने की अनुमति है। शंटिंग कार्य इंजन को काशीपुर दिशा में रखकर किया जायेगा ।

<u>नोट</u> :– सिगनल संख्या 6 केवल मेन लाइन के लिये है। इसे शंटिंग नेक में जाने के लिये आब्ज़र्व नही किया जायेगा

(ख) **<u>आउटर सिगनल तक शन्टिंग</u>** :
ढलान के कारण अनुमति नहीं है।

8.3. **<u>जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिग</u> :**

जाने वाली गाड़ी प्रथम रोक सिगनल (आउटर) को पार कर गयी हो तथा इसकी यात्रा जारी हो सभी सिगनलों तथा स्लिप साइडिंग काँटा 1 को सामान्य दशा में रखते हुए शंटिंग नेक में शंटिंग करने की अनुमति है । शंटिंग कार्य इंजन को काशीपुर दिशा में रखकर किया जायेगा ।

<u>नोट</u> :– सिगनल संख्या 6 केवल मेन लाइन के लिये है । इसे शंटिंग नेक में जाने के लिये आब्ज़र्व नही किया जायेगा

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

8.4.1 **शन्टिग पर प्रतिबन्ध** :

इस स्टेशन पर काशीपुर छोर की ओर ढलान के कारण वैगनों/वाहनों की हाथ शंटिंग की अनुमति नहीं है। रोलर बीयरिंग स्टाक की शन्टिंग करते समय निम्नलिखित सावधानियॉ बरती जाये :–

(क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शन्टिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संघटक गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किलोमीटर से अधिक नही होनी चाहिये।

(ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड़ मे, पॉच वाहनो की शन्टिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संघटक गति (Impact Speed) 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नही होनी चाहिये।

8.4.2. **शन्टिग का कोई विशेष पहलू** :

(क) समपार संख्या 52/सी को बन्द करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शंटिंग मास्टर/कॉटावाला की है।

(ख) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :–**

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सहीं–सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एंवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात वैगनों /वाहनों के कपलिंग की जॉच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ–साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग** :

(क) **टूरिस्ट साइडिंग लाइन संख्या–14 में शंटिंग** :

टूरिस्ट साइडिंग लाइन संख्या 14 में शंटिंग एन चाबी द्वारा नियंत्रित की जाती है। जब कभी शन्टिंग की जानी हो कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत कांटावाला को ''एन'' चाबी सौंप देगा, तथा उसे कांटा संख्या 5–5एक्स उसके अनुदेशों के अनुसार सेट तथा पाशित करने एवं चालक को सिगनल देने लिये निर्द्रेशित करेगा। जब रखना एवं निकालना (प्लेसमेन्ट तथा विड्राल) पूर्ण हो जाये कांटा संख्या 5–5एक्स को उनकी सामान्य स्थिति में कर दिया जायेगा तथा ''एन''चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर को लौटा दी जायेगी

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

(ख) **मालागोदाम में प्लेसमेन्ट/ विदड्राल** :

मालगोदाम लाइन संख्या 1 से तथा लाइन संख्या 2 की ठोकर से जुड़ा हुआ है। कांटा संख्या 7–7A लाइन संख्या 1 से निकलते हैं तथा कांटा संख्या 11–11A लाइन संख्या–2 की ठोकर से निकलते हैं। ये कांटे क्रमशः चाबियों ''एन'' तथा ''एल'' से नियन्त्रित होते हैं। ये चाबियॉ कांटो को ठीक से सेट तथा पांशित करके मालगोदाम साइडिंग में/से लोड रखने/निकालने के विस्तृत अनुदेशों सहित कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा कार्यरत कांटावाला को सौंपी जायेगी। जब मालगोदाम साइडिंग में शंटिंग पूरी हो जाये कांटा संख्या 7–7A तथा 11-11A अपनी सामान्य स्थिति में वापस कर दिये जायें तथा ''एन'' एवं ''एल'' चाबियॉ कार्यरत स्टेशन मास्टर को वापस कर दी जाये

(ग) सिक लाइन तथा अन्य साइडिंगों में लोड रखने निकालने का कार्य, कार्यरत स्टेशन मास्टर के अनुदेशों के अनुसार कार्यरत कांटावाला द्वारा निष्पादित किया जायेगा। गाड़ियों का वाँछित शन्टिंग संचलन कार्यरत स्टेशन मास्टर के अनुदेशानुसार कार्यरत काटावाला द्वारा किया जायेगा।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लाइंग) साइडिंग कार्य विधि** : कुछ नही ।

9. **असामान्य परिस्थितियाँ** :

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचलन हेतु पालन की जाने वाली प्रकिया** :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणो के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी0एस0एन0एल0फोन अथवा वी0एच0एफ0सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा बी0एस0एन0एल0फोन अथवा वी0एच0एफ0सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।

2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी0एस0एन0एल0फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तक यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहॉ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

(रितेश गुप्ता) (जे0ए0आजमी)

मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

2.(ख) **<u>वी0एच0एफ0सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :–</u>**

(i) वी0एच0एफ0सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।

(ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी0एच0एफ0सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैंस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।

(iii) जब वी0एच0एफ0सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा0 संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।

(iv) वी0एच0एफ0सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन कलीयर लिया/दिया जाय।

2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनो की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा ।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

(ख) **<u>कैन्क हैण्डिल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि</u>** :– यहॉ कैंक हैण्डिल प्रदत्त नहीं है।

(ग) **<u>कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण</u>** :–
इस स्टेशन पर कॉलिंग आन सिगनल का प्रावधान नही है।

(घ). **<u>काँटों, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना</u>** : संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 12 देखें।

9.1 **<u>संचार साधनों की पूर्ण विफलता</u>** :

1. **<u>संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है</u>** :–

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –

(क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।

(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।

(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी0एस0एन0एल0फोन

(ड़) नियन्त्रण दूरभाष ,

(च) वी॰ एच॰ एफ॰ सेट

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/63 रामनगर

2. **<u>इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन</u>** :
किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :–

(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।

(ख) गाड़ी के इंजन द्वारा ।

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :– <u>संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये</u>।

3 **<u>संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी</u>** –

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी–369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा । अन्दर आने पर चालकध्प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा ।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड मे इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को ''आन'' स्थिति मे पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमे प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा ।	

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमे इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो ।	
2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियो का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियो का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी /ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2. इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख कॉंटें के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियॉ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. **सामान्य कार्य संचालन पुन : चालू करने के लिये सावधानियॉ :**

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टीध्आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

(ख) किसी भी तरह से संचार साधर फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम–काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. **दोहरी लाइन पर अस्थायी रुप से इकहरी लाइन का संचालन** : कुछ नही।

9.3. **बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा।

विशेष रुप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :**

(क) **अप छोर :** टर्मिनल

(ख) **डाउन छोर :**

दिन में स्टेशन मास्टर कार्यालय से 180 मीटर की दूरी पर प्रदत्त वी0टी0ओ0 पोस्ट एवं रात्रि में उसकी बत्ती का प्रकाश बत्ती जैसा कि सस्टेमा0 कार्यालय के सामन से दिखायी देती हो।

(विशेष रुप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. **इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर** : परिशिष्ट "ङ" देखें ।

12. **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम** :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13. **परिशिष्टों की सूची :**

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग"	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ"	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ङ"	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च"	डी0के0स्टेशन, हाल्ट, आई0बी0एच0, आई0बी0एस0 और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ"	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम–

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(रितेश गुप्ता)
मं0 सिग0एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रुपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यो से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभॉति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय–समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको,डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो–प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख–रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लघंन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यो के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने के साथ–साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रुप से करेगें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :–

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि परिचालन परिपत्र के पैरा 43(3) (ख) (IV) में निहित मदों के आधार पर स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नही हो, तो स्टेशन की सामान्य देख–रेख करना।

3. <u>गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कॉंटावाला के कर्तव्य</u>

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कॉंटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यो के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कॉंटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :–

<u>गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान एवं शंटिग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगें</u> :

1 सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिंगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉंटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने–जाने को सुनिश्चित करना।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा–निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।

(जे0ए0आजमी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक सा0/इज्जतनगर

6. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।

7. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना

8. स्टेशन लैम्पों को जलाना–बुझाना तथा साफ रखना।

9. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

11. **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना** :–

i) सिगनल, कॉटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।

ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।

13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :– कॉटेवाला सभी कांटो का पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें सामान्य स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे संरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुॅच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत शंटिंग जमादार/मास्टर के कर्तव्य

(i) सामान्य पर्यवेक्षण

(ii) सभी वाहनों/वैगनों को जोड़ना तथा काटना और ठीक ढंग से मार्शलिंग करना

(iii) यह सुनिश्चित करना कि शंटिग समाप्त होने के बाद वाहनों/वैगनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है

(iv) गाड़ी के उस हिस्से के साथ–साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही हो और कॉटो की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना

(v) शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना

5. परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्य –

संचालन नियम के परिशिष्ट ''क'' (यातायात समपार) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(जे0ए0आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/63 रामनगर

परिशिष्टि "ड"

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	ट्राई कलर टार्च	– 05 बैट्री चालित – 02 के0आयल(गेट सं0 52/सी)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	– 08 हरी तथा 10 लाल
3.	पटाखा सिगनल	– 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	– 10 तालो सहित
5.	क्लैम्प	– 09 तालो सहित
6.	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	– 01
7.	फायर बकेट	– 06
8.	अग्निशामक यन्त्र (डी0सी0पी0टाइप)	– 02
9.	लकड़ी के गुटके	. 15

(जे0ए0आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा0
इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/63 रामनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण(रक्षा कवच)

" लागू नहीं "

(जे0ए0आज़मी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक / सा0 / इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/63 रामनगर

परिशिष्ट 'च'

डी0के0स्टेशन, आई0बी0एच0,आई0बी0एस0 और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

" लागू नहीं "

(जे0ए0आज़मी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक / सा0 / इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/63 रामनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

" लागू नहीं "

(जे0ए0आज़मी)
मं0 परिचालन प्रबन्धक / सा0 / इज्जतनगर